

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती  
 संदर्भ संख्या: प.क्ष.पा.प्र.-1/सी.पी.आई.ओ./01

दिनांक: 03.01.2022

सेवा में,  
 श्री अच्युतराव लक्ष्मणराव भांड,  
 मु.पो. लाड़गाव, ता.श्रीरामपुर,  
 जिल्हा - अहमदनगर (महाराष्ट्र),  
 पिन कोड - 413727, मोबाइल - 9326611080

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।  
 महोदय,


आपका पत्र दि. 09.12.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक: 13.12.2021 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.	चाही गयी जानकारी	जवाब
1.	पावरग्रिड कंपनी मार्फत माझ्या तालुक्यातील लाडगाँव शिवारातील गट नं 20 मध्ये लाइनमधिल एकस्चेंज टावर आलेला आहे । सदर काम होउन बरिस वर्षे झाली परंतु अधाप पावतो नुकसान भरपाईचा रक्कम मिलाती नाही । नुकसान भरपाईचा रक्कम मिलणरे काम अहवाल आहे या बाबत आम्हाल माहिती मिलावी ।	आपको अवगत कराया जाता है कि गट नं 20, मे टावर के नींव निर्माण, टावर खड़ा करने और तार खिंचाई के दौरान भूमि मालिक को फसल मुआवजे के रूप में कुल मिलाकर रु 418470/- का भुगतान किया गया था । टावर के लिए भूमि मुआवजा का मूल्यांकन अभी एसडीएम कार्यालय श्रीरामपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही भूमि मुआवजा का मूल्यांकन एसडीएम कार्यालय से प्राप्त होगा तदपश्चात टावर के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड द्वारा संबंधित भूमि धारक को किया जाएगा ।

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है ।

**अपीलीय अधिकारी का पता-**

श्री. एस.रविंदर कुमार, कार्यपालक निदेशक प.क्ष.०1  
 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
 पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड,  
 पोस्ट -उप्पलवाडीनागपुर - 440026  
 दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470

  
 31/01/22  
 (पंकज दलाल)

**जन सूचना अधिकारी**

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484

ईमेल : [pankajdalal@powergridindia.com](mailto:pankajdalal@powergridindia.com)

**प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:**

- 1) कार्यपालक निदेशक पश्चिम क्षेत्र -1
- 2) वरि महाप्रबंधक, (औरंगाबाद)